

No. H-25016/2/2011-P&P(Toll)(Vol.III)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

सडक परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

Transport Bhawan, 1, Parliament Street,  
New Delhi, 110001.

Dated the 30<sup>th</sup> December, 2013

To,

The Chairman,  
National Highways Authority of India,  
G-5&6, Sector-10,  
Dwarka, New Delhi.


Subject: Overloaded vehicles on Highways.

Sir,

Government has amended the NH (Fee) Rules, 2008 so that overloaded vehicles could not pass through toll plazas unless they offload the excess load. Further vehicles will be liable to pay fee for entering the overloaded vehicles on the NH equal to ten times of the applicable fee to such category of vehicles. A copy of Gazette notification is enclosed. This is done to ensure life of highways and safety of road user.

2. NHAI is requested to give it wide publicity so that twin objectives of Government i.e. life of highways and safety of road users could be ensured.

Yours faithfully,

  
(N.K.Sharma)  
Director(Toll)



  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2013/अग्रहायण 25, 1935

No. 602]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2013/AGRAHAYANA 25, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 778(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में—  
नियम 3 में उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा;

(क) मूल नियमों के नियम 4 में—

- (i) उप-नियम (3) और उप नियम (4) लोप किए जाएंगे;
- (ii) उप-नियम (6) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘परंतु यह और कि 4 लेन वाले किसी राजमार्ग के खंड के मामले में, जिसे 6 लेन तक उन्नयन किए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है, फीस की दर में वृद्धि बिना किसी वार्षिक पुनरीक्षण के, रियायतग्राही के साथ किए गए करार के अनुसार परियोजना पूरा होने की तारीख तक उन्नयन से संबंधित कार्य के प्रारंभ होने की तारीख से ही संगणित, उप-नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट और नियम-5 के अंतर्गत यथा संशोधित फीस के 75% तक सीमित होगी:

परंतु यह भी कि रियायतग्राही के साथ किए गए करार के अनुसार परियोजना के पूरा किए जाने की तारीख और परियोजना पूरी होने की वास्तविक तारीख के बीच की अवधि में विनिर्दिष्ट के लिए कोई उपयोगिता फीस नहीं उदग्रहीत की जाएगी।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनों के लिए परियोजना को अंतिम रूप से पूरी किए जाने को यह नहीं माना जाएगा कि परियोजना पूरी हो गई है।

(iii) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(7) एक्सप्रेसवे का प्रयोग किए जाने के लिए फीस की दर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर की 1.25 गुणा होगी।'

(8) प्राइवेट विनिधान परियोजनाओं के मामले में, फीस की दर नियम (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दर होगी अथवा ऐसी निम्न दर होगी जिसका अवधारण रियायतग्राही, सभी अथवा किसी प्रवर्ग के वाहन को विनिर्दिष्ट करते हुए, उपयोक्ताओं को लोक सूचना देकर करेगा।

(9) 4 लेन राजमार्गों के किसी खंड के लिए फीस की दर, 6 लेन में उन्नयन किए जाने से संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाने की तारीख से ही राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 प्रारंभ होने की तारीख से ही लागू फीस की 75%, किसी वार्षिक पुनरीक्षण के बिना, परियोजना पूरी किए जाने की तारीख तक होगी; परंतु रियायतग्राही के साथ किए गए करार के अनुसार परियोजना कार्य पूरा किए जाने की तारीख और परियोजना पूरी होने की वास्तविक तारीख के बीच की अवधि में विलंब के लिए कोई उपयोक्ता फीस उद्धृत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनों के लिए किसी परियोजना को अंतिम रूप से पूरी किए जाने को यह नहीं माना जाएगा कि परियोजना पूरी हो गई है।

(10) स्वतंत्र (स्टैंड एलोन) संरचना के उपयोग के लिए फीस की दर की गणना, संरचना की लागत को, राजमार्ग/एक्सप्रेसवे की समान लंबाई में परिवर्तित करके, उस वर्ष 1 अप्रैल को राजमार्ग/एक्सप्रेसवे की प्रति कि.मी. औसत लागत के घटक से विभाजित, करके की जाएगी।

परंतु राजमार्ग/एक्सप्रेसवे के एक भाग के रूप में रेखीय राजमार्ग परियोजना में स्थायी पुल अथवा सुरंग के लिए, फीस की दर की गणना, संरचना के अभिगम की लंबाई को छोड़कर, संरचना की लागत को राजमार्ग/एक्सप्रेसवे की समान लंबाई में परिवर्तित करके, संरचना की लागत को छोड़कर, उस राजमार्ग/एक्सप्रेसवे की प्रति कि.मी. लागत के घटक से विभाजित करके, की जाएगी।

स्पष्टीकरण:— इस उप-नियम के प्रयोज्यों के लिए:—

"स्वतंत्र संरचना" से कोई ऐसा स्वतंत्र पुल, सुरंग अथवा उपरिगामी सेतु जिसे विद्यमान सुविधा के पूरक के रूप में विनिर्दिष्ट परियोजना माना गया हो अथवा उपयोक्ताओं के लिए नवीन सुविधा के रूप में बनाया गया हो, जो समय और वाहन प्रचालन लागत में बचत के रूप में मूर्त फायदा प्रदान करे और मौजूदा सड़क नेटवर्क की मजबूती में वृद्धि करे अभिप्रेत होगा:

(11) पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन और अधिक के किंतु 4 लेन से कम के उस राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड उपयोग करने के लिए, जिसपर तीन अथवा अधिक मीटर के कैरिजवे के चौड़ीकरण द्वारा काफी सुधार किया गया है, फीस की दर उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस की दर की साठ प्रतिशत होगी।

(ग) मूल नियम के नियम 10 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) किसी यांत्रिक वाहन के चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिकूल प्रभाव बिना, नियम 4 के उप-नियम (2) के अंतर्गत इसके प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत भार लदान से अधिक भार लदान वाले किसी भी यांत्रिक वाहन को उस पर लदे अधिक भार को उतारे बिना राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करने अथवा पथकर प्लाजा को पार करने की अनुमति नहीं होगी।

(1क) ऐसे यांत्रिक वाहन के चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार लदे वाहन का राजमार्ग पर प्रवेश करने के लिए, नियम 4 के उप-नियम (2) के अंतर्गत उस यांत्रिक वाहनों के ऐसे प्रवर्ग के लिए लागू फीस के दस गुणा के बराबर पथकर संग्रहण अभिकरण को फीस संदाय करने का दायी होगा।"

[फा. सं. एच-25016/2/2011-पी एंड पी (टोल) (खण्ड-III)]

अनकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, असाधारण में भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में 5 दिसम्बर, 2008 में सा.का.नि. सं. 838 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 950 (अ), 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. सं. 15 (अ), 12 जनवरी, 2011 और सा.का.नि. सं. 756 (अ), 12 अक्टूबर, 2011 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2013

**G.S.R. 778(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) in rule 3, sub-rule (3) shall be omitted;

(b) in rule 4 of the principal rules.—

(i) sub-rules (3) and (4) shall be omitted;

(ii) in sub-rule (6), after the proviso, the following shall be inserted, namely:—

“Provided further that in case of a section of a four-lane highway which has been taken up for upgradation to six-laning, the increase in rate of fee shall be limited to seventy-five per cent of the fee as specified in sub-rule (2) and revised under rule 5 calculated on and from the date of commencement of the work relating to upgradation, till the date of completion of the project according to the agreement entered into with the concessionaire without any annual revision:

Provided also that no user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per the agreement entered into with the concessionaire and the date of actual completion of the project.

*Explanation.*— For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.” ;

(iii) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(7) The rate of fee for use of an expressway shall be 1.25 times the rate specified in sub-rule (2).

(8) In case of private investment projects, the rate of fee shall be as specified under sub-rule (2) or such lower rates as concessionaire may determine by giving public notice to the users, specifying in all or any category of vehicles.

(9) The rate of fee for a section of a four-lane highway shall on and from the commencement of the work relating to upgradation to six laning, be seventy-five per cent. of the fee applicable on the date of commencement of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013, till the completion of the project without any annual revision:

Provided that no user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per the agreement entered into with the concessionaire and the date of actual completion of the project.

*Explanation.*— For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

(10) The rate of fee for use of standalone structure shall be calculated by converting the cost of the structure into an equivalent length of highway/ expressway by dividing by an equalisation factor equal to average cost per km of highway/expressways on 1st April of that year.

Provided that for a permanent bridge or a tunnel in a linear highway/expressway project forming part of the highway/expressway, the rate of fee shall be calculated by converting the cost of the structure, excluding the length of the approaches to the structure, into an equivalent length of highway/expressway by dividing such cost by an equalisation factor equal to the cost per km. of such highway/expressway excluding the cost of structures.

*Explanation.*— For the purposes of this sub-rule, “stand-alone structure” shall mean an independent bridge or tunnel or flyover taken up as specific project to complement an existing facility or to create a new facility for users which brings about tangible benefits in terms of savings in time and vehicle operating costs and enhances the efficiency of the existing road network.

(11) The rate of fee for use of a section of a national highway, having two-lanes with paved shoulders and above but below four-lane on which substantial improvement has been made by widening carriageway by three meters or more shall be sixty per cent of the rate of fee specified under sub-rule (2).”.

(c) in rule 10 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Without prejudice to the liability of the driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle under any law for the time being in force, a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

(1A) The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under sub-rule (2) of rule 4."

[No. H-25016/2/2011-P&P(Toll)(Vol.III)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

**Note :** The National Highways Fee (Determination of Rates and Collections) Rules, 2008 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. No. 838 (E) dated the 5th December, 2008 and amended *vide* G.S.R. No. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. No. 15(E) dated 12th January, 2011 and G.S.R. No. 756(E) dated 12th October, 2011).